

कार्यालय

प्राथमिक शैक्षणिक विभाग, रायबरेल

उत्तर प्रदेश राज्यनशी

संख्या:- प्राथिमा/परीषद/सम्बद्धता/2021/3537

तारखत:- दिनांक:- 09/08/2021

कार्यालय भाषा:-

प्रथम आचार्य हवनगौली शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक स्तर पर 2021-22 हेतु शिक्षण सामग्री तय करीकी शिक्षण सामग्री को अनुपालन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उभरिती द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्ण में सम्बद्धता समिति को सम्बद्धता विस्तार प्रदान प्रवेश करने या प्रति सदित अन्य सदी पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक से किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद आ 90 तारखत 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं इतर संबंधित प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2290-DR VIRENDRA SWAROOP MEMORIAL TRUST GROUP OF INSTITUTIONS, RAJENDRA SWAROOP KNOWLEDGE CITY, KUNNAO

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0पी0टी0ई0/ पी0पी0आई0 द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ इतरा ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0पी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णता पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद पन्त 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनकाली 1982 से सम्बद्ध विनियमनकाली 2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पारमेशी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 26,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष ही वर्षों पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 22,50,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोज्य करनी तथा में प्राप्त किये जायेंगे। उर्योग्य उपमंडल के अतिरिक्त छात्रधारण।



- ✓ अनुसूची के संवन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत विधेयक को जल्द बाध सम्मन्धने प्रभावी होगा, जोर काय्युक्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा जोत निर्देशन समिति द्वारा यदि 2021-22 हेतु वित्त का नूतनोधारण किया जाता है, तो वित्त की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समिति तथा उप समिति) संस्था को सम्बन्ध किये जाने पर विनियमावली-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त स्तर परीक्षा परिसर द्वारा आवंटित अर्थों को ही प्रयुक्त किया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की रिपोर्टों में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही स्तर की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं नवीनतम शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 00आइ0सो0टी0इ0पी0सो0साइ0 के अन्तर्गत तम अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा केनाये गये विधिपंथसो/संविनियामो/शासनादेशो/निदेशो एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा 3050, संयुक्त स्तर परीक्षा परिसर 3050 तथा प्राविधिक शिक्षा परिसर, 3050 द्वारा केनाये गये नियमो/विनियामो आदेशो/निदेशो का मालम करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियमो इन शर्तों पर पाठ्यक्रम को सुसम्भार राशि भी सौ. अ. इ. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अतन्त्र रहती है जो इस संवन्ध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिसर, संयुक्त स्तर परीक्षा परिसर, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध बाधर किया जाता है तथा बाधर बाध के संवन्ध में सा. न्यायालय द्वारा किये गये न्याय की प्रतिपूर्ति शासनी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियमो इन शर्तों पर पाठ्यक्रम अर्थात् मालम वाली कार्यवाही को संयुक्त स्तर परीक्षा परिसर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्याश कर के लिये अर्थात् प्रवेश परीक्षा हेतु का निर्देशन प्रारम्भ होने के पूर्व 00आइ0सो0टी0इ0पी0सो0साइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर का मालम को उपसन्ध करना होगा अन्यथा ऊंचे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) उत्तर प्रदेश शासन पर लोथे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत कार्यवाही का मालम नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि ग्राफि, स्टाफ, छात्रसंख्या, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था का शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वतावरण उपलब्ध अथवा के साथ रजिग हेवन के संवन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित राजाजित माल्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्देशन समिति के द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त भूमि-गणन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किये गये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा के इसवी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त माल्यक्रम किये गये कार्य का है, तब तक नहीं है तो तत्काल संस्था की सम्बन्धता उपलब्ध किये जाने की तदनुसार की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, रजामागण, उपकरण एवं अन्य माल-सम्पत् 00आइ0सो0टी0इ0पी0सो0साइ0 के अन्तर्गत तम अनुमोदन प्राप्त करनी करनी जाना है तो संस्था को सम्बन्धित अनुमोदन करनी जायेगी।



साम्प्रदायिक शक्ति का अनुपात ल किये जाते अथवा शक्ति का उन्मूलन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार
अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुस्तक- प्राशिक्षापीठ संन्यसता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

संक्षेपित-

प्राधान्य: प्राशिक्षापीठ DR VIRENDRA SWAROOP MEMORIAL TRUST GROUP OF
INSTITUTIONS, RAJENDRA SWAROOP KNOWLEDGE CITY, UNNAO



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



